



देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ.....

जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या -2018/TWB/06

E-Newsletter, Issued in Public Interest

शुक्रवार, 29 मार्च 2019



भूखंड संख्या-1,सहकार मार्ग,लाल कोठी पर स्थित फ़ेलिसिटी टावर की छत पर चल रहे अवैध रूफ टॉप रेस्त्रो-बार/डिस्को थेक (एरीना वन/हेशटेग)में लगी आग जिम्मेदार मौन!!



एरीना वन,4th फ्लोर,फ़ेलिसिटी टावर,सहकार मार्ग,लाल कोठी में लगी भीषण आग

शहर की छतों पर फैल रहा है अवैध रेस्टोरेंट-बारों का जाल;भाग-2

होली की रात को हुआ हादसा,भीषण आग का तांडव,शहर की 15 दमकले लगीं

अखिर वही हुआ जिसका डर था|20 मार्च,होली की रात को हुए हादसे में शहर के बीचो-बीच स्थित एक व्यावसायिक कोम्प्लेक्स फ़ेलिसिटी टावर की छत पर चल रहे अवैध रेस्टोरेंट-बार एरीना-वन और डिस्को थेक हेथेटेग में आग लग गयी |

हालांकि, इसमें किसी जनहानि की कोई खबर नहीं है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी जगदीश प्रसाद फुलवारी ने बताया कि सहकार मार्ग स्थित टॉवर की चौथी मंजिल पर एक रेस्तरां बार में तड़के तीन बजे अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही शहर के पांच दमकल केंद्रों से 15 दमकल गाड़ी भेजी गई जिन्होंने काफी मशक़त के बाद आग पर काबू पा लिया। उन्होंने बताया कि धुएं से रेस्तरां बार के दो सुरक्षाकर्मी बेहोश हो गए जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आग से कोई जनहानि नहीं हुई है। फुलवारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आग संभवतः शार्ट सर्किट की वजह से लगी। हालांकि, अभी कारणों की जांच की जा रही है। थानाधिकारी सोनचंद वर्मा ने बताया कि इस संबंध में टॉवर मालिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 427 और 436 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

हम लगातार चेता रहे हैं सरकार को, परन्तु जिम्मेदार है कि सुनते ही नहीं।

शहर में ऐसे एक नहीं सैकड़ों की तादात में आवासीय/व्यावसायिक कोम्प्लेक्सों,रियायशी क्षेत्रों में इस तरह के अवैध रूप टॉप रेस्टोरेंट पसरे हुए हैं,जिसके लिए हमारे द्वारा बार बार जिम्मेदारों को आगाह किया जाता रहा है परन्तु जिम्मेदार है कि सुनते हु नहीं या सुनने की कोशिश ही नहीं करते है।

यदि ऐसा ही रहा तो भगवान् की दया से इस हादसे में तो कोई जन हानि नहीं हुई परन्तु भविष्य में किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता।

अपने रसुखातों से बिल्डर और रेस्टोरेंट मालिक पुनः चालू कर लेगा इस रेस्टोरेंट को।

चूँकि यह हादसा उस वक्त हुआ जिस दिन होली थी,जिस कारण सभी मिडिया वाले होली की कवरेज में व्यस्त थे और अगले दिन अखबारों की छुट्टी होने के कारण यह बड़ी खबर नहीं बन पाई और होली के शोर में दब कर रह गयी।

इसका फायदा उठाते हुए बिल्डर और रेस्टोरेंट मालिक पुनः इस रेस्टोरेंट को चालू करने की कोशिश कर रहे है।

देश के लिए....अव्यवस्था के खिलाफ.....

जवाब दो!!!
सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदारी पोर्टल

जवाब दो!!!सरकार...
www.jawabdosarkar.com

E-Newsletter, Issued in Public Interest
जनवरी, 23 जनवरी 2019

रवीन्द्र मठाना -301@TWB-02

The Whistle Blowers
Exposing Corruption in Government System

जवाब दीजिये मुख्यमंत्री महोदय!!!
जयपुर की छतों पर संचालित अवैध रेस्टोरेंट-बार के जिम्मेदार कौन??

जयपुर शहर की छतों पर फैल रहा है अवैध रेस्टोरेंट वारों का जाल;भाग-1

जैसे-जैसे जयपुर महानगर बनता जा रहा है,वैसे-वैसे महानगरों की समस्याओं,परेशानियों से भी घिरता जा रहा है।ऐसी ही एक विकट समस्या शहर के कमर्शियल,आवासीय कॉम्प्लेक्स और रियायशी घरों की छतों पर बिना स्थानीय निकायों की अनुमति के चलने वाले अवैध रूप टॉप रेस्टोरेंट,बार,डिस्कोथेक आदि की है।

इस अवैध रूप टॉप रेस्टोरेंट,बार,डिस्कोथेक का फैलाव जयपुर के प्रमुख इलाकों,राजा-पार्क,प्राणसीन नगर,वैशाखी नगर,0-स्कीम,विद्याधर नगर,मानसरोवर,टोक रोड आदि अन्य इलाकों में तेजी से फैलता जा रहा है।ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारों को इसका पता नहीं है,परन्तु अपने रसुखातों के दबाव पर इन अवैध रूप टॉप

रेस्टोरेंट,बार,डिस्कोथेक को चलाने वाले अभी तक बड़ी कार्यवाही से बचते चले आ रहे हैं।



क्रेडिट: प्रतीकचक्र

पता :B1, झारखंड अपार्टमेंट,झारखंड महादेव मोड़,जबलपुर सगत सिंह मार्ग,वैशाखीनगर,302016 मोबाइल:-9828946151 पृष्ठ-1

जिम्मेदार विभाग और लोक सेवक

क्रमांक	लोक सेवक का नाम, पदनाम	विभाग	उत्तरदायित्व	दोष
1.	ज़ोन-उपायुक्त -3 डा.प्रिया बलराम शर्मा	जे.डी.ए. ज़ोन कार्यालय -3	राज. उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ज़ोन में होने वाले अवैध निर्माणों को रोकने के लिए जिम्मेदार ,ज़ोन का सर्वेसर्वा अधिकारी	ज़ोन में होने वाले अवैध निर्माणों से बेखबर,
2.	ज़ोन -3 प्रवर्तन अधिकारी; श्री रामवतार सिंह यादव	जे.डी.ए. प्रवर्तन विभाग,ज़ोन-3	ज़ोन-5 में अवैध निर्माणों,अतिक्रमणों आवासीय में व्यावसायिक गतिविधियों को रोकने के लिए उत्तरदायी।	इस अवैध रेस्टोरेंट बार को सील करने की कोई कार्यवाही नहीं की।
3.	थाना इंचार्ज,ज्योति नगर श्री सोन चंद वर्मा	पुलिस विभाग थाना ज्योति नगर	थाना क्षेत्र में चल रहे अवैध हुक्का बार,रात को नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए जिम्मेदार	थानाधिकारी द्वारा इस अवैध रूफ टॉप रेस्टोरेंट बार में चल रहे हुक्का बार के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की और ना ही इस रेस्त्रो-बार से देर रात जाने वाले नशे में चूर युवाओं को रोकने की कोई कार्यवाही की।
4.	मुख्य अग्निशमन अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद फुलवारी	नगर निगम, अग्निशमन विभाग	व्यावसायिक कोम्पेक्सों को अग्निशमन संबंधी मानकों के अनुसार NOC देने के लिए उत्तरदायी	बिना अग्निशमन NOC के चल रहे इस अवैध रेस्टोरेंट बार पर कोई कार्यवाही नहीं की।
5.	ज़िला आबकारी अधिकारी श्रीमति रेखा माथुर जयपुर शहर	आबकारी विभाग जयपुर शहर	ज़िले में रेस्टोरेंट बार के लाईसेंस के लिए उत्तरदायी	बिना अनुमति बने रेस्टोरेंट पर बार का लाईसेंस जारी किया।

